

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी-३, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - higereducation.cg@gmail.com Website - www.higereducation.cg.gov.in)

क्रमांक १७८४/५०/आउशि/सम./२०२१

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक ०६-०८-२१

प्रति,

१. क्षेत्रीय अपर संचालक,
रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर एवं जगदलपुर (छ.ग.)।
२. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय (छ.ग.)।
३. संचालक,
छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी,
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर रायपुर (छ.ग.)।
४. संचालक,
छ.ग. साहित्य अकादमी,
क्षेत्रीय अपर संचालक कार्यालय,
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर रायपुर
५. सचिव,
छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग,
शांति नगर एकता नर्सिंग होम के पास रायपुर (छ.ग.)।
६. प्राचार्य,
समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय,
छ.ग.।

विषय :-

महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न(निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम-2013 के पालन को मंत्रालय के समस्त विभाग में सुचारू रूप से लागू किये जाने बाबत।

संदर्भ :-

१. अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक २०४०/१७१३/२०२१/३८-१ दिनांक ०२ जुलाई २०२१
२. महिला एवं बाल विकास विभाग का पत्र क्रमांक एफ ११-१/२०२०/१०२१/टीएल/माबवि/५० दिनांक ०४.०६.२०२१

—०००—

उपरोक्त विषयांतार्थि संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। कृपया पत्र में दिये गये निर्देशानुसार अपने कार्यालयों में परिवाद समिति का गठन करना सुनिश्चित करें, एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय

नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक ०६-०८-२१

पृ.क्रमांक १७८५ /५०/आउशि/सम./२०२१

प्रतिलिपि :-

अवर सचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग महानदी भवन मंत्रालय नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. को संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

No.: L-201-22-1198
AD-~~EF~~ /JD/-~~AD~~
Section *प्रभावपूर्ण*
Date *8 JUL 2021*

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

2 JUL 2021

क्रमांक २०५० / 1713 / 2021 / 38-1

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक / 07 / 2021

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर,
रायपुर, छ.ग.

विषय:- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के पालन को मंत्रालय के समस्त विभाग में सुचारू रूप से लागू किये जाने बाबत्।

महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 11-1 / 2020 / 1021 / TL / मबावि / 50, दिनांक 04.06.2021 के साथ संलग्न डॉ. श्रीमती किरणमयी नायक, माननीय अध्यक्ष, छ.ग. राज्य महिला आयोग, रायपुर से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 255 दिनांक 05.04.2021 की छायाप्रति संलग्न है। आदेशानुसार अधिनियम, 2013 दिनांक 22.04.2013 गाईड लाईन में निहित प्रावधान अनुसार परिवाद समिति का गठन कर, विभाग को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

रामेश्वर
(ए.आर.खान)
अवर सचिव

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

रामेश्वर
14/1/2021

छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
क्रमांक एफ 11-1/2020/1021/TL/मबावि/50 नवा रायपुर, दिनांक 04/05/2021
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,

अध्यक्ष, छ0ग0 राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास,
छत्तीसगढ़

३०४८-८
२१-४-२१

विषय:—विषय:—महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के पालन को मंत्रालय के समस्त विभाग में सुचारू रूप से लागू किये जाने बाबत।

--00--

डॉ. श्रीमती किरणमयी नायक, माननीय अध्यक्ष, छ.ग. राज्य महिला आयोग, रायपुर से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 255 दिनांक 05.04.2021 एवं विषयांकित अधिनियम, 2013 दिनांक 22 अप्रैल, 2013 गाईड लाइन की छायाप्रति सलग्न है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधान के अनुसार परिवाद समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है।

अतः कृपया अधिनियम, 2013 दिनांक 22 अप्रैल, 2013 गाईड लाइन में निहित प्रावधान अनुसार परिवाद समिति का गठन तत्काल करने का कष्ट करें।

(विजया खेस्स)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

क्रमांक एफ 11-1/2020/1021/TL/मबावि/50 नवा रायपुर, दिनांक 05/2021
प्रतिलिपि:—

- उप सचिव, छ.ग. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर की ओर जावक क्र. 4728/दिनांक 08.04.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- निज सहायक, मान. अध्यक्ष, छ.ग. राज्य महिला आयोग, शास्त्री चौक रायपुर की ओर अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 255 दिनांक 05.04.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ।

(विजया खेस्स)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग

मती किरणमयी नायक

अध्यक्ष

छ.ग. राज्य महिला आयोग



अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 255

91

दिनांक 05.05.2021

छ.ग. राज्य महिला आयोग

राज्य महिला आयोग, शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग)

संपर्क 0771-2433488 फैक्स: 0771-2424977

टोल फ्री 1800-233-4299

Email: cgmahilaayog@gmail.com, chairperson.cgswo@gmail.com

Website: www.cgmahilaayog.com

मती किरणमयी नायक
विषय:- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न(निवारण, प्रतिषेध और प्रतिरोध) अधिनियम 2013 के पालन को मंत्रालय के समस्त विभाग में सुचारू रूप से लागू किये जाने बाबत।

महिला कार्यस्थल सुचारू लैंगिक विषय
मंत्रालय, रायपुर
दिनांक 10.5.2021
दिनांक 10.5.2021

- 6 APR 2021

lelly.WCD

CHIEF OFFICE
No. 4728
Date: 08/04/2021


विषयात्मक अनुरोध है कि माननीय सुनील कोट के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार पूर्व में विशाखा गाइडलाइन प्रचलन में थी। इसके उपरान्त संसद में 2013 में कानून बनाते हुए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिरोध) अधिनियम 2013 निर्मित किया गया है। उपरोक्त उल्लेखित कानून का निर्माण और इस कानून के निर्माण के साथ ही भारतीय दंड संहिता में भी धारा 354ए, 354बी, 354सी और 354डी को भी जोड़ा गया है। उपरोक्त कानून नया होने के कारण इसकी 354सी और 354डी को भी जोड़ा गया है। उपरोक्त कानून नया होने के कारण अब तक प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं किया जा सका है।

अधिनियम की धारा 4 के अनुसार समस्त कार्यस्थल (शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक या निजी उपकरण) जहाँ भी 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, ऐसे सभी कार्यस्थल पर आंतरिक परिवाद समिति (Internal Complaints Committee) का गठन किया जाना अनिवार्य है। इस समिति में 01 पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष), 02 सदरच जिन्हें समाज सुधार का अनुभव या विधिक ज्ञान हो तथा 1 सदस्य (अध्यक्ष), 02 सदरच जिन्हें समाज सुधार का अनुभव या विधिक ज्ञान हो तथा 1 सदस्य गैर सरकारी संगठनों/संगमों (NGO) से जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हो। ऐसे समस्त कार्यस्थल (शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक या निजी उपकरण), जहाँ उक्त समिति गठित नहीं है, वहाँ रु. 50,000/- तक का आर्थिक दण्ड का भी प्रावधान है। अधिनियम की धारा 6 के अनुसार परिवाद नियोजक के विरुद्ध हो वहाँ प्रत्येक जिलाधिकारी (कलेक्टर, अपर कलेक्टर, डिस्ट्री कलेक्टर) जिले के लिए स्थानीय परिवाद समिति (Local Complaints Committee) का गठन किया जाना अनिवार्य है तथा इसे प्रत्येक जिले में लागू भी किया गया है।

महिला आयोग के विगत 06 माह के कार्यकाल की सुनवाई में अनेक ऐसे प्रकरण सामने आए हैं, जहाँ शासकीय कार्यालयों में भी उपरोक्त समितियों का गठन नहीं किया गया है, जबकि इसे प्रत्येक कार्यस्थल में लागू किया जाना है। अतः अधिनियम की धारा 04 के अनुसार मंत्रालय अंतर्गत समस्त विभाग ने इसका गठन कराए जाने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध है। मंत्रालय अंतर्गत समस्त विभाग से मीटिंग आहूत कर आंतरिक परिवाद समिति का गठन अनिवार्यतः कराने तथा इसका सार्वजनिक बोर्ड हर विभाग में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराने हेतु निर्देशित करें। साथ ही अधिनियम की धारा 05 के अनुसार गठित समिति की नियमित बैठक कराने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध है। मंत्रालय के साथ-साथ समस्त जिला कलेक्टर को

निवास/कार्यालय : नायक एडवोकेट चेम्बर, जी.ई. रोड, तात्यापारा, रायपुर (छ.ग)

मोबाइल : +91 94255 35683



(3)

इस कानून का पालन अपने जिलों में एवं सभी विभागीय कार्यालयों, निजी संस्थाएँ, उद्योगों में आवश्यक रूप से पालन कराने व निर्देश जारी कराने तथा इस कानून का जनसंपर्क के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का सादर अनुरोध है।

उक्त समिति का गठन सभी विभागों में प्रभावशाली दंग से कराए जाने की अत्यत आवश्यकता है, जिससे कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्तीर्ण रोका जा सके और प्रभावशाली दंग से उसका निराकरण भी किया जा सके, ताकि समस्त विनाश अत्तर्गत कार्यरत महिलाएँ दंग को सुरक्षित समझेंगी।

संलग्न - अधिनियम की प्रति।

टीप - प्रदर्शन बोर्ड का प्राक्टिक ई-मेल में भेजा जा रहा है। इस प्राक्टिक में सभी स्थानों में आतंरिक परिवाद समिति के बोर्ड का प्रदर्शन अनिवार्य होगा।

मवदीय
Wen May 2020
05.05.2020

(डॉ. किरणमयी नायक)

प्रति,

मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
मंत्रालय, महानदी भवन,
अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 14)

122 अंक, 2013

महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से सरकार और
लैंगिक उत्पीड़न के परिवारों के निवारण तथा
प्रतितोष और उससे संबंधित या उसके
आनुषंगिक विषयों का उपबंध
करने के लिए
अधिनियम

लैंगिक उत्पीड़न के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के अधीन समता तथा सर्विश्वान वे
या कोई उपजीविका, व्यापार या कारबार करने के अधिकार का, जिसके अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त मुश्किल बातावरण का
अधिकार भी है, उल्लंघन होता है;

और, लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेदों को दूर
करने संबंधी अभिसमय जैसे अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों और लिखतों द्वारा सर्वव्यापी मान्यताप्राप्त ऐसे मानवाधिकार हैं, जिनका भारत
सरकार द्वारा 25 जून, 1993 को अनुसमर्थन किया गया है;

और, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण के लिए उक्त अभिसमय को प्रभावी करने के लिए उपबंध करना
समीचीन है;

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न
(निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
2. परिभाषा—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “व्यथित महिला” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) किसी कार्यस्थल के संबंध में, किसी भी आयु की ऐसी महिला, जो नियोजित है या नहीं, जो प्रत्यधि
द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के करने का अभियन्यन करती है,

(ii) किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में, किसी भी आयु की ऐसी महिला, जो ऐसे किसी निवास
स्थान पर गृह में नियोजित है,

(छ) “समुचित सरकार” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) ऐसे कार्यस्थल के संबंध में, जो,—

(अ) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन,
नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः या भागतः
वित्तपोषित है, केन्द्रीय सरकार;

(आ) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षतः या
अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित है, राज्य सरकार;

(ii) उपखंड (i) के अंतर्गत न आने वाले और उसके शासकों के भीतर आने वाले किसी कार्यस्थल के में, राज्य सरकार;

(ग) "अधिकारी" से धारा 7 की व्याधार (i), के अधीन नामिनिर्दिष्ट स्थानाद परिवाद समिति का अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "जिला अधिकारी" ने धारा 5 के अधीन अधिकारी बोई अधिकारी अभिप्रेत है; जबकि विषय चाहे गवर्नर के लिए, चाहे गवर्नर के विषय में, या तो नीचे या विषयी अभिप्रेत है तो यह अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) "गवर्नर कर्मचारी" में ऐसी कोई महिला अभिप्रेत है, जो किसी स्थानीय में पारिश्रमिक परिवाद समिति का अधिकारी अभिप्रेत है; जिसका कार्यस्थल पर नियोजित है विनु इनके अन्तर्गत विषयादाद के कुछ कार्यों में से नहीं है;

(च) "गवर्नर कर्मचारी" में ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी कार्यस्थल पर विसी वार्षिक वित्त या तो साथी या किसी अन्यिना के साथमें, जिसके अंतर्गत बोई उचितार्थी है, प्रधान नियोजक की जामकारी में या उसके दिले नियमित या अस्थायी, तदर्थ या दैनिक मजदूरी के आधार पर, चाहे पारिश्रमिक पर या उनके दिले, नियोजित है या स्वैच्छिक आधार पर या अन्यथा कार्य कर रहा है, चाहे नियोजित के निवधन अभिव्यक्त या विवक्षित है या नहीं और इसके अंतर्गत कोई सहकर्मचार, बोई संविदा कर्मचार, परिवाराधीन, शिक्षा, प्रशिक्षण या ऐसे किसी अन्य नाम से जात कोई व्यक्ति भी है;

(छ) "नियोजक" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग, सगठन, उपनगर, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट के संबंध में, उस विभाग, संगठन, उपनगर, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ii) उपखंड (i) के अंतर्गत न आने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में, कार्यस्थल के प्रबंध, पर्यावरण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "प्रबंध" के अंतर्गत ऐसे संगठन के लिए नीतियों की नियमिति और प्रशंसन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या बोई या समिति भी है;

(iii) उपखंड (i) और उपखंड (ii) के अंतर्गत आने वाले कार्यस्थल के संबंध में, अपने कर्मचारियों के संबंध में संविदात्मक वाध्यताओं का निवेदन करने वाला व्यक्ति;

(iv) किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में, ऐसा कोई व्यक्ति या गृहस्थी, जो ऐसे नियोजित कर्मकार की संख्या, समयावधि या प्रवृत्त या नियोजन की प्रकृति या घरेलू कर्मकार द्वारा निष्पादित कार्यकलापों का विचार किए विना, घरेलू कर्मकार का नियोजित करता है या उसके नियोजन से फायदा प्राप्त करता है;

(ज) "आतंरिक समिति" से धारा 4 के अधीन गठित आतंरिक परिवाद समिति अभिप्रेत है;

(छ) "स्थानीय समिति" से धारा 6 के अधीन गठित स्थानीय परिवाद समिति अभिप्रेत है;

(ज) "सदस्य" से, यथास्थिति, आतंरिक समिति या स्थानीय समिति का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(ट) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बना, गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ठ) "पीठासीन अधिकारी" से धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नामिनिर्दिष्ट किया गया आतंरिक परिवाद समिति का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है;

(इ) "प्रत्यर्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध व्यक्ति महिला ने धारा 9 के अधीन कोई परिवाद किया है,

(ट) "लैंगिक उत्पीड़न" के अंतर्गत निम्नलिखित कोई एक या अधिक अवांछनीय कार्य या व्यवहार चाहे प्रत्यक्ष रूप से या विवक्षित रूप से हैं, अर्थात् :—

(i) शारीरिक संपर्क और अग्रगमन; या

(ii) लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना; या

(iii) लैंगिक अत्युक्त टिप्पणियां करना; या

(iv) अस्तील साहित्य दिखाना; या

(v) लैंगिक प्रकृति का कोई कन्या अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करना;

(ण) "कार्यस्थल" के अंतर्गत निम्नलिखित भी है—

(i) ऐसा कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, सम्बन्ध, कार्यालय, शांडा या यूनिट, जो मर्मान्ति सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी कम्पनी या निगम या सदस्यों से माझी हाथ नहीं है, उसमें स्वामिनार्थीन, नियवणार्थीन या पुर्णनः या सारन् उसके द्वारा प्रयुक्त या प्रयोग्यत्व, उपयुक्त बनाए गए निधियों द्वारा दिनांप्रियत की जानी है।

(ii) कोई प्राइवेट सेक्टर संगठन या यिनी प्राइवेट उद्यम जैसे उनमें से किसी न्याय, गैर-सरकारी संगठन, यूनिट या सेवा प्रदान के वर्तानियों वृत्ति, दशबोर्ड, लीडर, मसान्तव्य अधिकारी, राष्ट्राभ्यंतरीय या विनीय विद्यावाचार वर्तने हैं जिनके उनमें उपायों प्रदान, वित्त, विभाग, प्र

(iii) सम्बन्धित या संभवतः गृह,

(iv) प्रशिक्षण, खेलकूद या उनमें संवर्धित अन्य विद्याकलापों के लिए प्रयोग, कोई खेलकूद संस्थान स्ट्रेटिज्यम, खेलकूद प्रश्नेत्र या प्रतिस्पर्धा या ब्रीडा का स्थान, जहाँ आदानप्रद है या नहीं।

(v) नियोजन से उद्भूत या उसके प्रक्रम के द्वारा कमंचारी द्वारा परिदृश्यत कोई स्थान जिसके अंतर्गत ऐसी यात्रा करने के लिए नियोजक द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन भी है;

(vi) कोई निवास स्थान या कोई गृह;

(vii) किसी कार्यस्थल के संबंध में, अमंगित सेक्टर से ऐसा कोई उद्यम अभियंत है, जो व्यष्टियों या स्वनियोजित कर्मकारों के स्वामित्वाधीन है और किसी प्रकार के माल के उत्पादन या विक्रय अथवा सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है और जहाँ उद्यम, कर्मकारों को नियोजित करता है, वहाँ ऐसे कर्मकारों की संख्या दस से अन्धून है।

3. लैंगिक उत्पीड़न का निवारण—

(1) किसी भी महिला का किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।

(2) अन्य परिस्थितियों में निम्नलिखित परिस्थितियाँ, यदि वे लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य या आचरण के संबंध में होती हैं या विद्यमान हैं या उससे संबद्ध हैं, लैंगिक उत्पीड़न की कोटि में आ संकेतः—

(i) उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार का विवक्षित या सुस्पष्ट वचन देना; या

(ii) उसके नियोजन में अहितकर व्यवहार की विवक्षित या सुस्पष्ट धमकी देना; या

(iii) उसके वर्तमान या भावी नियोजन की प्राप्तिकर्ता के बारे में विवक्षित या सुस्पष्ट धमकी देना; या

(iv) उसके कार्य में हस्तक्षेप करना या उसके लिए अभित्रासमय या संतापकारी या प्रतिकूल कार्य बातावरण सृजित करना; या

(v) उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने की सम्भावना बाला अपमानजनक व्यवहार करना।

अध्याय 2

4. आंतरिक परिवाद समिति का गठन

“आंतरिक परिवाद समिति” नामक एक समिति का गठन करेगा :

परंतु जहाँ कार्यस्थल के कार्यालय या प्रशासनिक यूनिटें, भिन्न-भिन्न स्थानों या खंड या उपखंड स्तर पर अवस्थित हैं, वहाँ आंतरिक समिति सभी प्रशासनिक यूनिटों या कार्यालयों में गठित की जाएगी।

(2) आंतरिक समिति, नियोजक द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्—

(क) एक पीठासीन अधिकारी, जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर ज्येष्ठ स्तर पर नियोजित महिला होगी;

परंतु किसी ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी के उपलब्ध नहीं होने की दशा में, पीठासीन अधिकारी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों से नामनिर्देशित किया जाएगा;

परंतु यह और कि कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों में ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं होने की दशा में, पीठासीन अधिकारी, उसी नियोजक या अन्य विभाग या संगठन के किसी अन्य कार्यस्थल से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ख) कर्मचारियों में से दो से अन्धून ऐसे सदस्य, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिमानी रूप से प्रतिवद्ध हैं या जिनके पास सामाजिक कार्य में अनुभव है या विधिक ज्ञान है;

- (ग) गैर-सरकारी संगठनों या संगमों में से किसी एक सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिक्रिया को हटाने के लिए उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से सुपरिचित है।
परंतु इस प्रकार नामनिर्देशन कुनून सदस्यों में से कम से कम आधुनिक सदस्य महिलाओं होंगी।
- (3) आर्थिक समिति वा पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष से एक अवधि के लिए पद धारण करेगा, जो नियोजक द्वारा विनियोगित की जाए।
- (4) गैर-सरकारी संगठनों या संगमों में से नियुक्त किए गए सदस्य जो आर्थिक समिति को कार्यवाहित करने वाले नियोजक द्वारा ऐसों फीसें या चर्चा, जो विहित किए जाएं, मद्दत किए जाएं।
- (5) जहाँ आर्थिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य—
- (क) धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है; या
(ख) किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या उसके विरुद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन है; या
- (ग) किसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दोषी पाया गया है या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही का प्रभाव डालने वाला हो गया है,
- (घ) अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है, जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित पर प्रतिवाद की कोई जांच लंबित है; या
- अपराध की रिक्ति को इस धारा के उपबंधों के अनुसार नए नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा।

अध्याय 3

5. जिला अधिकारी की अधिसूचना—समुचित सरकार, इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने या कृत्यों का निर्वहन करने के लिए किसी जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कलक्टर या उप कलक्टर को प्रत्येक जिले के लिए जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित कर सकेगी।
6. स्थानीय परिवाद समिति का गठन से जहाँ दस से कम कर्मकार होने के कारण आर्थिक परिवाद समिति गठित नहीं की गई है या यदि परिवाद स्वयं नियोजक के विरुद्ध है, वहाँ, यथास्थिति, ऐसे पीठासीन अधिकारी या सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सृजित रिक्ति या किसी आकस्मिक रिक्ति को इस धारा के उपबंधों के अनुसार नए नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा।
- (1) प्रत्येक जिला अधिकारी, संबंधित जिले में, ऐसे स्थापनों वहाँ लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद ग्रहण करने के लिए “स्थानीय परिवाद समिति” नामक एक समिति का गठन करेगा। नगरपालिका में परिवाद ग्रहण करने के लिए और सात दिन की अवधि के भीतर उसको संबंधित स्थानीय परिवाद समिति को भेजने के लिए एक नोडल अधिकारी को पदाभिहित करेगा।
- (2) स्थानीय परिवाद समिति की अधिकारिता का विस्तार जिले के उन क्षेत्रों पर होगा, जहाँ वह गठित की गई है।
7. स्थानीय परिवाद समिति की संरचना, सेवाधृति और अन्य निर्बंधन तथा शर्तें—(1) स्थानीय परिवाद समिति, जिला अधिकारी द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्—
- (क) अध्यक्ष, जो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक, ताल्लुका और तहसील में और शहरी क्षेत्र में वार्ड या नगरपालिका में परिवाद ग्रहण करने के लिए और सात दिन की अवधि के भीतर उसको संबंधित स्थानीय परिवाद समिति को भेजने के लिए एक नोडल अधिकारी को पदाभिहित करेगा।
- (ख) एक सदस्य, जो जिले में ब्लॉक, ताल्लुका या तहसील या वार्ड या नगरपालिका में कार्यरत महिलाओं में से नामनिर्दिष्ट की जाएगी;
- (ग) दो सदस्य, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध ऐसे किए जाएं, नामनिर्दिष्ट किए जाएं।
- परंतु कम से कम एक नामनिर्देशिती के पास, अधिमानी रूप से विधि की पृष्ठभूमि या विधिक ज्ञान होना चाहिए:
- गैर-सरकारी संगठनों या संगमों में से या ऐसा व्यक्ति, जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित ऐसे मुद्दों से सुपरिचित हो जो विहित वर्गों या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्यसंस्थक समुदाय की महिला होगी;
- (घ) जिले में सामाजिक कल्याण या महिला और बाल विकास से संबंधित सबद्ध अधिकारी, सदस्य पदेन होगा।

(2) स्थानीय समिति का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष में अनंति लिए पद धारण करेगा, जो जिन्होंने अधिकारी द्वारा विनियोगित की जाए।

(3) जहाँ स्थानीय परिवाद समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य—
 (ब) धारा 16 के उपचंद्रों का उल्लंघन करता है, वे
 (च) किसी अपनाध के लिए दोषमिहु दरवाया गया है या उसके लिए नियोजित वर्ष में अपनाध की अपनाध की कोई जाच नहिन है या
 (ग) किसी अनुदानान्वय वाचवापत्र में जाए पद लिए हैं या उसके लिए कोई अनुदानान्वय के बहाव डालने वाला हो गया है,

(द) किसी हेमियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है, जिसमें उम्मत अपने पद पर बने रहना लोकहिन प्रभाव डालने वाला हो गया है, जिसमें उम्मत अपने पद पर बने रहना लोकहिन समिति को इस धारा के उपचंद्रों के अनुसार नए नामनिवेशन से भरा जाएगा।

(4) स्थानीय समिति का अध्यक्ष और उपधारा (1) के छंड (ब) और छंड (घ) के अधीन नामनियोग सदस्यों से भिन्न चहो, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सूझित रिक्ति या किसी स्थानीय समिति की कार्यालयों करने के लिए ऐसी फीसों या भत्तों के लिए जाने के लिए ऐसी धनराशि
 8. अनुदान और संपरीक्षा—(1) केंद्रीय सरकार, संलग्न द्वारा इस नियमित विधि द्वारा लिए गए सम्बद्ध विनियोग के राज्य सरकार को धारा 7 की उपधारा (4) में नियोगित फीसों या भत्तों के संदाय के लिए उपयोग किए जाने के लिए ऐसी धनराशि जो केंद्रीय सरकार ठीक समझे, अनुदान दे सकेगी।
 (2) राज्य सरकार, एक अभिकरण की स्थापना कर सकेगी और उस अभिकरण को उपधारा (1) के अधीन लिए गए अनु अंतरित कर सकेगी।
 (3) अभिकरण, जिला अधिकारी को ऐसी राशियों का, जो धारा 7 की उपधारा (4) में नियोगित फीसों या भत्तों के संदाय लिए अपेक्षित हों, संदाय करेगा।

(4) उपधारा (2) में नियोगित अभिकरण के लेखाओं को ऐसी रीति से रखा और संपरीक्षित किया जाएगा, जो राज्य के महालेखाकार के परामर्श से विहित की जाए और अभिकरण के लेखाओं को अभिकरण में रखने वाला व्यक्ति, ऐसी तारीख से पूर्व, जो विहित की जाए, राज्य सरकार को लेखाओं की संपरीक्षित प्रति, उस पर संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 4

परिवाद

9. लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद—(1) कोई व्यथित महिला, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद, घटना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर और शृंखलाबद्ध घटनाओं की दशा में अंतिम घटना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, लिखित में, आंतरिक समिति को, यदि इस प्रकार गठित की गई है या यदि इस प्रकार गठित नहीं की गई है तो स्थानीय समिति को कर सकेगी : परंतु जहाँ ऐसा परिवाद, लिखित में नहीं किया जा सकता है वहाँ, यथास्थिति, आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या प्रदान करेगा :

परंतु यह और कि, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से तीन मास से अनधिक की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियां ऐसी थीं, जिसने महिला को उक्त अवधि के भीतर परिवाद फाइल करने से निवारित किया था।

(2) जहाँ व्यथित महिला, अपनी शारीरिक या मानसिक असमर्थता या भूत्यु के कारण या अन्यथा परिवाद करने में असमर्थ है वहाँ उसका विधिक वारिस या ऐसा अन्य व्यक्ति जो विहित किया जाए, इस धारा के अधीन परिवाद कर सकेगा।

10. सुलह—(1) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, धारा 11 के अधीन जांच आरंभ करने से पूर्व और व्यथित महिला के अनुरोध पर, सुलह के माध्यम से उसके और प्रत्यर्थी के बीच मामले को निपटाने के उपाय कर सकेगी : परंतु कोई धनीय समझौता, सुलह के आधार के रूप में नहीं किया जाएगा।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन कोई समझौता हो गया है, वहाँ, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, इस प्रकार किए गए समझौते को अभिलिखित करेगी और उसको नियोजक या जिला अधिकारी द्वारा ऐसी कार्रवाई, जो सिफारिश में विनियोगित की जाए, करने के लिए भेजेगी।

(3) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, उपधारा (2) के अधीन अस्मिलिंग किए गए समझौते की प्रवृत्ति महिला और प्रत्यर्थी को उपलब्ध कराएगी।

(4) जहाँ उपधारा (1) के अधीन कोई समाधान हो जाता है, वहाँ यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को बोहं और जांच नहीं की जाएगी।

11. परिवाद की जांच—(1) धारा 10 के उपलब्धों के बड़ी गलती के उपरांत आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के प्रत्यर्थी कोई कर्मचारी है, वहाँ प्रत्यर्थी को बाहर सेवा नियमों के उपरांत भेज दिया जाएगा। ऐसे कोई नियम विचारण नहीं है, वहाँ एकी राजीनीति में, जो विविध वीजाएँ, परिवाद की जांच करने की कार्यवाही करेगी या किसी प्रत्यक्ष वर्षेकाल की दशा में, स्थानीय समिति या शिविर प्रथमदृष्टिया मामलों किया जाएगा, तो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 509 और जहाँ लागू हो, वहाँ उक्त संहिता के अन्तर्गत अन्य सुनिश्चित उपवधों के अधीन समझौते रजिस्टर करने के लिए सात दिन की अवधि के भीतर पुलिस को परिवाद भेजेगी।

परंतु जहाँ व्यक्ति महिला, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को यह सुनिश्चित करती है कि धारा 10 के उपधारा (2) के अधीन किए गए समझौते के किसी निवंधन या शर्त का प्रत्यर्थी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है, वहाँ आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति, परिवाद की जांच करने के लिए कार्यवाही करेगी या पुलिस को परिवाद भेजेगी।

परंतु यह और कि जहाँ दोनों पक्षकार कर्मचारी हैं, वहाँ पक्षकारों को, जांच के अनुक्रम के दौरान, सुनिश्चित का अवसर दिया जाएगा और निष्कर्ष की प्रति दोनों पक्षकारों को, समिति के समक्ष निष्कर्षों के विरुद्ध अभ्यावेदन करने में उनको समर्थ बनाने के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, तब धारा 15 के उपलब्धों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी द्वारा व्यक्ति महिला को ऐसी राशि के सदाय का, जो वह सुनिश्चित समझौते, आदेश कर सकेगा।

(2) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 509 में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय, जब प्रत्यर्थी को अपराध का शक्तियां होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी बाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित है, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

(ख) किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

(4) उपधारा (1) के अधीन जांच, नव्वे दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

अध्याय 5

परिवाद की जांच

पर, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, नियोजक को निम्नलिखित सिफारिश कर सकेगी,—

(क) व्यक्ति महिला या प्रत्यर्थी का किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानान्तरण करना; या

(ख) व्यक्ति महिला को तीन मास तक की अवधि की छुट्टी अनुदान करना; या

(ग) व्यक्ति महिला को ऐसी अन्य राहत, जो विहित की जाए प्रदान करना।

(2) इस धारा के अधीन व्यक्ति महिला को अनुदत्त छुट्टी ऐसी छुट्टी के अतिरिक्त होगी, जिसके लिए वह अन्यथा हकदार होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिश पर, नियोजक, उपधारा (1) के अधीन की गई सिफारिशों को कार्यान्वयन की रिपोर्ट, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को भेजेगा।

13. जांच रिपोर्ट—(1) इस अधिनियम के अधीन जांच के पूरा होने पर, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी को जांच के पूरा होने की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध कराएगी और ऐसी रिपोर्ट संबंधित पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) जहाँ, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित नहीं किया गया है वहाँ, वह, नियोजक और जिला अधिकारी को यह सिफारिश करेगी कि मामले में किसी कार्रवाई का किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(3) जहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध और सांवित हो गया है, वहां, वह, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी से निम्नलिखित के लिए सिफारिश करेगी,—

(i) प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुमान बनावार के दृष्ट में या इस प्रकार सेवा नियम नहीं बनाए गए हैं, वहां ऐसी रीति में, जो विहित को जाए, लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्रवाई करें।

(ii) प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों में विरुद्ध बनाए होने वाली प्रत्यक्षी के बनाने का समझौता के विरुद्ध मानव उपबंधों के अनुमान बहु अवधारणा के बनावार के जाने वाली रूप से रखिए हों, जो इस विविध समझौते को बनावार करने के लिए आवश्यक है।

परंतु यदि नियामक प्रत्यर्थी के चर्चेण में अनुपमित उत्पीड़न के लियाजारे ये भवान तो जाने के बाबा उत्पीड़न के रूप में अनेक विधिक व्यापारों को बदल दो जाने वाली रूप से रखिए हों, तो वह अवधारणा के अनुमान बहु अवधारणा के बनावार के रूप में राशि की वस्तुओं के लिए आदेश अंग्रेजित करें।

(4) नियोजक या जिला अधिकारी, उसके द्वारा सिफारिश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करेगा।

14. मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड—(1) जहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन द्वेषपूर्ण है या व्यथित महिला या परिवाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने परिवाद को मिथ्या जानते हुए किया है या व्यथित महिला या परिवाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कूटरचित या भ्रामक दस्तावेज पेश किया है तो वह, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी को ऐसी महिला या व्यक्ति के विरुद्ध जिसने, यथास्थिति, धारा 9 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन परिवाद किया है, उसको लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहां, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगी।

परंतु किसी परिवाद को सिद्ध करने या पर्याप्त सबूत उपलब्ध कराने में केवल असमर्थता, इस धारा के अधीन परिवादी के परिवादी की ओर से द्वेषपूर्ण आशय सिद्ध किया जाएगा।

(2) जहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जांच के दौरान किसी साक्षी ने मिथ्या साक्ष्य दिया है या कोई कूटरचित या भ्रामक दस्तावेज दिया है, वहां वह, यथास्थिति, साक्षी के नियोजक या जिला अधिकारी को, उक्त साक्षी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहां ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगी।

15. प्रतिकर का अवधारण—धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (ii) के अधीन व्यथित महिला को संदर्भ की जाने वाली राशियों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति निम्नलिखित को ध्यान में रखेगी,—

(क) व्यथित महिला को कारित हुए मानसिक आघात, पीड़ा, यातना और भ्रावात्मक कष्ट;

(ख) लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण वृत्ति के अवसर की हानि;

(ग) पीड़ित द्वारा शारीरिक या मनशिवकित्सीय उपचार के लिए उपगत चिकित्सा व्यय;

(घ) प्रत्यर्थी की आय और वित्तीय हैसियत;

(ङ) एकमुक्त या किस्तों में ऐसे संदाय की साध्यता।

16. परिवाद की अंतर्वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने का प्रतिषेध—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का-22) में किसी जनत के होते हुए भी धारा 9 के अधीन किए गए परिवाद की अंतर्वस्तुओं, व्यथित महिला, प्रत्यर्थी और साक्षियों की पहचान और पते, सुलह और जांच कार्यवाहियों से संबंधित किसी जानकारी, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिशों तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियोजक या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई को, किसी भी रीति से, प्रकाशित, प्रेस और मीडिया को संसूचित या सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

परंतु इस अधिनियम के अधीन लैंगिक उत्पीड़न की किसी पीड़ित को सुनिश्चित न्याय के संबंध में जानकारी का, व्यथित महिला और साक्षियों के नाम, पते या पहचान या उनकी पहचान को प्रकल्पित करने वाली किन्हीं अन्य विशिष्टियों को प्रकट किए बिना, प्रसार किया जा सकेगा।

17. परिवाद की अंतर्वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने के लिए शर्ति—जहां कोई व्यक्ति, जिसको इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिवाद, जांच या किन्हीं सिफारिशों या की जाने वाली कार्रवाई का संचालन करने या

उस पर कार्यवाही करने का बलंबय मोपा गया है, धारा 16 के उपदधों का उल्लंघन करेगा, वहा वह उत्तर व्यक्ति को लागू करेंगे।

18. अपील—(1) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन या धारा 13 की उपधारा (3) के छह (6) दो छह (11) के धारा 1 उपदधों के अनुमान या जहाँ से सेवा नियम विद्यमान नहीं है, वहा एक रिपोर्ट में जो विवित हो सके आगे के दिन शक्ति के

उपधारा (1) या उपधारा (2) या धारा 17 के अधीन की गई सिफारिश या ऐसी नियमों की बासिन्दान न किया जाने के द्वारा अप्रभावित, उत्तर व्यक्ति को लागू करेंगे। अपील के अनुमान या अधिकारी को अप्रोक्ष कर सकता है जो विवित की जाए, अपील कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील, सिफारिशों के नव्वे दिन की अवधि के भीतर की जाएगी।

अध्याय 6

नियोजक के कर्तव्य—प्रत्येक नियोजक,—

(क) कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराएगा, जिसके अंतर्गत कार्यस्थल पर संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से सुरक्षा भी है;

(ख) लैंगिक उत्पीड़न के शास्त्रिक परिणाम; और धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन आंतरिक समिति का गठन करने वाले आदेश को कार्यस्थल में किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा;

(ग) अधिनियम के उपबंधों से कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए नियमित अंतरालों पर कार्यशालाएं और जानकारी कार्यक्रम और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, आयोजित करेगा;

(घ) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को परिवाद पर कार्यवाही करने और जांच का संचालन करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा;

(इ) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के समक्ष प्रत्यर्थी और साक्षियों की हाजिरी सुनिश्चित करने में सहायता करेगा;

(ज) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा, जो धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन किए गए परिवाद को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित हो;

(झ) महिला को, यदि वह भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपराध के संबंध में कोई परिवाद फाइल करना, चयन करती है, सहायता प्रदान करेगा;

(ज) ऐसे कार्यस्थल में, जिसमें लैंगिक उत्पीड़न की घटना हुई थी, अपराधकर्ता के विरुद्ध या यदि व्यक्ति महिला ऐसी बांधा करती है, जहाँ अपराधकर्ता कोई कर्मचारी नहीं है, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्रवाई आरंभ करवाएगा;

(झ) लैंगिक उत्पीड़न को सेवा नियमों के अधीन कदाचार मानेगा और ऐसे कदाचार के लिए कार्रवाई आरंभ करेगा;

(ञ) आंतरिक समिति द्वारा रिपोर्टों को समय पर प्रस्तुत किए जाने को मानिटर करेगा।

अध्याय 7

जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां

(क) स्थानीय समिति द्वारा दी गई रिपोर्टों को समय से प्रस्तुत किए जाने को मानिटर करेगा;

(ख) ऐसे उपाय करेगा, जो लैंगिक उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जानकारी सृजित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को लगाने के लिए आवश्यक हो।

अध्याय 8

प्रक्रीण

21. समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना—(1) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, प्रत्येक कलैंडर वर्ष में, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसको नियोजक तथा जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

(2) जिना अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन प्राप्त वापिश नियों पर एक समिति नियों गत्य मन्दान वा भूज़

22. नियोजक द्वारा वापिश रिपोर्ट में जानकारी का सम्मिलित विया जाना—मिट्टी के अद्वाय के प्रबल वा मामगी, यदि कोई हो, और उपन समय की वापिश रिपोर्ट में इन अद्वायों के अधीन वापिश की गत्य का सम्मिलित द्वारा जहाँ सेसी नियों नीयाँ विया जाने की उपधारा नहीं की रहे हैं वहाँ वापिश की गत्य का सम्मिलित द्वारा जाना।

23. समुचित सरकार द्वारा कार्यान्वयन की मानितरी और आवश्यक रखा जाना—समुचित सरकार हम अद्विनियम के कार्यान्वयन की मानितरी की ओर कार्यान्वयन पर लैंगिक उत्पीड़न के प्रतिक विया जाना, और नियों पर सभी मामगी की सहज में सम्मिलित होने के लिए।

24. समुचित सरकार द्वारा अधिनियम के प्रचार के लिए उपाय विया जाना—समुचित सरकार, नियों के बन्द मामगी की उपयोगिता के उत्पीड़न वापिश के लिए।

(क) कार्यान्वयन पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न में संबंध के लिए उपबंध करने वाले इस अद्विनियम के उपवधों वारे में जनका की समझ बढ़ाने के लिए सुसंगत सूचना, शिक्षा, समूचना और प्रशिक्षण मामगियाँ वियित कर सकती हैं।

(ख) स्थारीय परिवाद समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम नियित कर सकती है।

25. सूचना मांगने और अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति—(1) समुचित सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि एसा करना लोक हित में या कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के हित में आवश्यक है, नियित आदेश द्वारा,—

(क) किसी नियोजक वा जिला अधिकारी से लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में एसी लिखित सूचना जो उसको अपेक्षित हो करेगा;

(ख) किसी ऐसे अधिकारी को लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में अभिलेखों और कार्यस्थल का निरीक्षण करने के लिए प्रस्तुत कर सकती, जो उसको ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की माग कर सकेगी;

(2) प्रत्येक नियोजक और जिला अधिकारी, मांग किए जाने पर निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समझ, उसकी अभिरक्षा में ऐसी सभी सूचनाओं, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करेंगे, जो ऐसे निरीक्षण की विषय-वस्तु से संबंधित हैं।

26. अधिनियम के उपबंधों के अननुपालन के लिए शास्ति—(1) जहाँ कोई नियोजक,—

(क) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन एक आंतरिक समिति का गठन करने में असफल रहेगा,

(ख) धारा 13, धारा 14 और धारा 22 के अधीन कार्रवाई करने में असफल रहेगा; और

करने का प्रयास करेगा या उनके उल्लंघन को दुष्प्रेरित करेगा,

(2) यदि कोई नियोजक इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध में पूर्ववर्ती सिद्धदोष ठहराए जाने के पश्चात् उसी अपराध को करता है और सिद्धदोष ठहराया जाता है तो वह,—

(i) उसी अपराध के लिए उपबंधित अधिकारी दंड के अधीन रहते हुए, पूर्ववर्ती सिद्धदोष ठहराए जाने पर प्रत्येक अधिरोपित दंड से दुगुने दंड का दायी होगा:

परंतु यदि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराध के लिए, जिसके संबंध में अभियुक्त का अभियोजन किया जा रहा है, कोई उच्चतर दंड विहित है तो न्यायालय दंड देते समय उसका सम्यक् सज्जान लेगा;

(ii) सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उसके कारबाह या क्रियाकलाप को चलाने के लिए अपेक्षित, यथास्थिति, उसकी अनुजप्ति के रद्द किए जाने या सजिस्ट्रीकरण को समाप्त किए जाने या नवीकरण या अनुमोदन न किए जाने या रद्द करण के लिए दायी होगा।

27. न्यायालयों द्वारा अपराध का संज्ञान—(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, व्यक्ति महिला या आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति द्वारा इस नियमित प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिवाद किए जाने के सिवाय न करेगा।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध असंज्ञय होगा।

28. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना—इस अधिनियम के उपबंध, तस्मय प्रदूँच विर्ह के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

29. समुचित सम्बार की नियम बनाने की शक्ति—(1) सम्बार सम्बार इस अधिनियम के उपबंध का बारीनिया नियम, राजस्व में अधिमूचना द्वारा बना सकती।

(2) विधिपटवार्या और मुद्रणाली शक्ति की व्यापकता यह प्रतिवृत्त एवं विवरण द्वारा दिए गए नियमों के उपबंध का सदस्य भवित्वा।

(अ) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन उड़ान वा मदन वा जान द्वारा कानून द्वारा नहीं;

(इ) धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन मदन्यों वा नामनिवेशन;

(ग) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन अध्यक्ष और मदन्यों वा सदस्य की जान वाली फीस या भने;

(घ) ऐसा व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन परिचाद कर सकेगा;

(ङ) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जांच की रीति;

(च) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन जांच करने की शक्तियां;

(छ) धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन सिफारिश की जाने वाली राहत;

(ज) धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (i) के अधीन की जाने वाली कार्रवाई की रीति;

(झ) धारा 14 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन की जाने वाली कार्रवाई की रीति;

(ञ) धारा 17 के अधीन की जाने वाली कार्रवाई करने की रीति;

(ट) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन अपील की रीति;

(ठ) धारा 19 के खंड (ग) के अधीन कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए कार्यशालाएं, जानकारी का आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने की रीति; और

(ड) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन आंतरिक समिति और स्थानीय समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्ररूप और समय।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशाला अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभाव हो जाएगा। के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं।

(4) किसी राज्य सरकार द्वारा धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन बनाया गया कोई नियम बनाए जाने के पश्चात् जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसे विधान-मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन रखा जाएगा।

30. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उ है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशाला, संसद् के प्रत्येक सदन रखा जाएगा।